

सारण समाहरणालय, छपरा

(जिला योजना कार्यालय)

आदेश

प्रधान सचिव योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना के विभागीय संकल्प संख्या 3756 दिनांक 10/11/13 एवं पत्रांक 1780 दिनांक 3/05/2013 एवं योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक 4973 दिनांक 25/11/13 के आलोक में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका में विहित प्रावधान के तहत विधुत कार्यपालक अभियंता विधुत आपूर्ति प्रमण्डल पश्चिमी छपरा के द्वारा प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है। उक्त योजनाओं के प्राक्कलनों में सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की राशि के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है। साथ ही इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नांकित योजनाओं के नाम के सम्मुख स्तम्भ 6 में अंकित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि का 80 % की राशि को विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान किया जाता है। विमुक्त राशि का चेक / RTGS के माध्यम से नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड पटना के पदनाम से खाता सं- 0352101042061 IFSC CODE- CNRB 0000352 KENRA BANK SOUTH GANDHI MAIDAN BRANCH, PATNA में निर्गत करने हेतु आवश्यक कारवाई सुनिश्चित किया जाय।

क्र०	प्रखंड का नाम	पत्रांक/दिनांक	स्वीकृति योजनओ का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	विमुक्ति राशि 80 %	माननीय सदस्य का नाम
1	2		3	4	5	6	7
1	सदर छपरा	1321 27/11/12	टिकुलिया टोला	214824	214824	171800	मा० सा० राज्य सभा राजीव प्रताप रुढ़ी
2	सदर छपरा	1498 13/12/13	ग्राम फकुली में	346687	346687	277300	"
3	गड़खा	"	पिरौना डीह	101849	101849	81400	"
4	सदर छपरा	1321 27/11/12	खलपुरा	235871	235871	188600	"
5	गड़खा	01 कैम्प 1/1/14	ग्राम अतुपुर	125885	125885	100700	"
6	गड़खा	"	ग्राम बेलवनिया गढ़वाल टोला	101770	101770	81400	"
7	सदर	1498 13/12/13	नौवाडिह जलालपुर	321240	321240	256900	"
			कुल योग :-	1448126	1448126	1158100	

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (चौदह लाख अरतालीस हजार एक सौ छब्बीस रुपये मात्र)
विमुक्ति राशि (ग्यारह लाख अनठवन हजार एक सौ निनानवे मात्र)

कार्यकारी एजेन्सी का नाम :- इन स्वीकृत योजनाओं का कार्य विधुत कार्यपालक अभियंता विधुत आपूर्ति प्रमण्डल पश्चिमी छपरा द्वारा योजना एवं विकास विभाग पत्रांक 3756 दिनांक 10/11/2013 के आलोक में स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार के द्वारा निविदा आमंत्रित कर योजनाओं का कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित किया जाय।

कार्यान्वयन की शर्तें

1. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संतुष्ट हो लेगे कि स्थल विवादग्रस्त नहीं है, तथा किसी की निजी जमीन योजना स्थल के बीच में नहीं पड़ती है। योजना कार्य के किसी भी वजह से अवरुध होने की स्थिति में सारी जवाबदेही आपकी होगी। संबंधित अंचलधिकारी से भूमि प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही योजनाओ का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जाय।

